धारा 10 : संयुक्त उद्ग्रहण

(1) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी तत्प्रतिकूल बात के होते हुए भी, किन्तु धारा 9 की उपधारा (3) और उपधारा (4) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, कोई ऐसा रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में सकल आवर्त पचास लाख रूपए से अधिक नहीं थी, ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अधीन रहते हुए, जो विहित किए जाएं, [1][धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन उसके द्वारा संदेय कर के बदले ऐसी दर पर], जो विहित की जाए, किन्तु जो,–

(क) किसी विनिर्माता की दशा में, राज्य में के आवर्त और संघ राज्यक्षेत्र में के आवर्त के एक प्रतिशत से अधिक नहीं होगी;

[2]**(ख)** अनुसूची 2 के पैरा 6 के खंड (ख) में निर्दिष्ट पूर्ति करने में लगे व्यक्तियों की दशा में, राज्य में के आवर्त या संघ राज्यक्षेत्र में के आवर्त के ढाई प्रतिशत से अधिक नहीं होगी; और

(ग) अन्य पूर्तिकारों की दशा में, राज्य में के आवर्त या संघ राज्यक्षेत्र में के आवर्त के आधे प्रतिशत से अधिक नही होगी,

संगणित रकम के संदाय का विकल्प चुन सकेगाः

परन्तु सरकार, अधिसूचना द्वारा, पचास लाख रूपए की उक्त सीमा को [3][एक करोड़ पचास लाख रूपए] से अनधिक की ऐसी सीमा बढ़ा सकेगी, जिसकी परिषद् द्वारा सिफारिश की जाए।

[4]**[परन्तु** यह और कि कोई व्यक्ति, जो खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) के अधीन कर का संदाय करने का विकल्प लेता है, किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में पूर्ववर्ती वित्त वर्ष में कारबार के दस प्रतिशत से अनधिक मूल्य की सेवा (अनुसूची 2 के पैरा 6 के खंड (ख) में निर्दिष्ट से भिन्न) या पांच लाख रूपए, जो भी अधिक हो, की पूर्ति कर सकेगा।**]**

---

1 सीजीएसटी (संशोधन) अधिनियम, 2018 (2018 का क्रमांक 31) द्वारा ''उसके द्वारा संदेय कर के बदले, ऐसी दर पर'' के स्थान पर प्रतिस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 2/2019–केन्द्रीय कर, दिनांक 29.01.2019 द्वारा इसको दिनांक 01.02.2019 से प्रभावशील किया गया।

2 केन्द्रीय माल और सेवा कर (कठिनाईयों को दूर करना) आदेश, 2019 [आदेश क्रमांक 1/2019–केन्द्रीय कर,] दिनांक 01.02.2019 द्वारा निम्नलिखित स्पष्ट किया गया है–

कठिनाईयों को दूर करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि छूट प्राप्त सेवाओं की पूर्ति का मूल्य जो कि जमा, ऋण या अग्रिम के माध्यम से दी जाती है, जहां तक कि ब्याज या छूट के माध्यम से प्रतिफल को व्यक्त किया जाता है, हिसाब में नहीं लिया जाएगा–

(i) धारा 10 की उप–धारा (1) के दूसरे परंतुक के अधीन कंपाजिशन स्कीम के लिए उसकी पात्रता अवधारित करने के क्रम में;

(ii) कंपोजिशन स्कीम के लिए उसकी पात्रता अवधारित करने के क्रम में उसके सकल व्यापारवर्त की गणना करने में।

3 केन्द्रीय माल एवं सेवाकर (संशोधन) अधिनियम, 2018 (2018 का क्रमांक 31) द्वारा ''एक करोड़ रूपये'' के स्थान पर प्रतिस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 02/2019–केन्द्रीय कर, दिनांक 29.01.2019 द्वारा इसको दिनांक 01.02.2019 से प्रभावशील किया गया।

4 परन्तुक केन्द्रीय माल एवं सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2018 (2018 का क्रमांक 31) द्वारा अंतःस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 2/2019–क्रेन्द्रीय कर, दिनांक 29.01.2019 द्वारा इसको दिनांक 01.02.2019 से प्रभावशील किया गया।

[5][**स्पष्टीकरण**—दूसरे परन्तुक के प्रयोजन के लिए, जहां तक प्रतिफल को ब्याज या बट्टे के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, छूट प्राप्त सेवाओं की पूर्ति के मूल्य को, किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में आवर्त के मूल्य के अवधारणा के लिए गणना में नहीं लिया जाएगा।]

(2) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, उपधारा (1) के अधीन विकल्प चुनने का पात्र होगा, यदि,—

[6][(क) उपधारा (1) में यथाउपबंधित के सिवाय, वह सेवा की पूर्ति में नहीं लगा हुआ है;]

(ख) वह ऐसे किसी माल [7][या सेवाओं] की पूर्ति करने में नहीं लगा हुआ है, जो इस अधिनियम के अधीन कर से उद्ग्रहणीय नहीं हैं;

(ग) वह माल की किसी [8][या सेवाओं] अंतरराज्यिक आवक पूर्ति करने में नहीं लगा है;

(घ) वह किसी ऐसे इलैक्ट्रोनिक वाणिज्य प्रचालन के माध्यम से, जिससे धारा 52 के अधीन स्त्रोत पर कर के संग्रहण की अपेक्षा है, किसी [9][..... [10][.....] सेवाओं] की पूर्ति करने में नहीं लगा है; [11][.....]

(ङ.) वह ऐसे माल का विनिर्माता नहीं है, जिन्हें सरकार द्वारा, परिषद् की सिफारिशों पर, [12][अधिसूचित किया जाए; और]

[13][(च) वह न तो कोई नैमित्तिक कराधेय व्यक्ति है और न ही कोई अनिवासी कराधेय व्यक्ति है :]

परन्तु जहां एक से अधिक रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों का (आय–कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन जारी) स्थायी खाता संख्यांक एक ही है, वहां ऐसा रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, उपधारा (1) के अधीन तब तक स्कीम के लिए विकल्प का चुनाव करने का पात्र नहीं होगा जब तक ऐसे सभी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उस उपधारा के अधीन कर के संदाय के विकल्प का चुनाव नहीं करते हैं।

[14][(2क) इस विनियम में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, किन्तु धारा 9 की उपधारा (3) और उपधारा (4) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो

---

5 वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2019 (2019 का क्रमांक 23) द्वारा स्पष्टीकरण अंतःस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 1/2020—केन्द्रीय कर, दिनांक 01.01.2020 द्वारा इसको दिनांक 01.01.2020 से प्रभावशील किया गया।

6 सीजीएसटी (संशोधन) अधिनियम, 2018 (2018 का क्रमांक 31) द्वारा खंड (क) प्रतिस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 2/2019—केन्द्रीय कर, दिनांक 29.01.2019 द्वारा इसको दिनांक 01.02.2019 से प्रभावशील किया गया।
प्रतिस्थापन के पूर्व खंड (क) इस प्रकार था :
"(क) वह अनुसूची 2 के पैरा 6 के खंड (ख) में निर्दिष्ट पूर्तियों से भिन्न सेवाओं की पूर्ति में नहीं लगा हुआ है;"

7 वित्त अधिनियम, 2020 (2020 का क्रमांक 12) द्वारा अंतःस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 92/2020—केन्द्रीय कर, दिनांक 22.12.2020 द्वारा इसको दिनांक 01.01.2021 से प्रभावशील किया गया।

8 वित्त अधिनियम, 2020 (2020 का क्रमांक 12) द्वारा अंतःस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 92/2020—केन्द्रीय कर, दिनांक 22.12.2020 द्वारा इसको दिनांक 01.01.2021 से प्रभावशील किया गया।

9 वित्त अधिनियम, 2023 द्वारा शब्द ''माल [A][या'' विलोपित। (प्रभावशील दिनांक 01.10.2023)।

A वित्त अधिनियम, 2020 (2020 का क्रमांक 12) द्वारा अंतःस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 92/2020—केन्द्रीय कर, दिनांक 22.12.2020 द्वारा इसको दिनांक 01.01.2021 से प्रभावशील किया गया।

10 वित्त अधिनियम, 2020 (2020 का क्रमांक 12) द्वारा अंतःस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 92/2020—केन्द्रीय कर, दिनांक 22.12.2020 द्वारा इसको दिनांक 01.01.2021 से प्रभावशील किया गया।

11 वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2019 (2019 का क्रमांक 23) द्वारा शब्द ''और'' विलोपित। अधिसूचना क्रमांक 1/2020—केन्द्रीय कर, दिनांक 01.01.2020 द्वारा इसको दिनांक 01.01.2020 से प्रभावशील किया गया।

12 वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2019 (2019 का क्रमांक 23) द्वारा शब्द ''अधिसूचित किया जाए:'' के स्थान पर प्रतिस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 1/2020—केन्द्रीय कर, दिनांक 01.01.2020 द्वारा इसको दिनांक 01.01.2020 से प्रभावशील किया गया।

13 वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2019 (2019 का क्रमांक 23) द्वारा खंड (च) अंतःस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 1/2020—केन्द्रीय कर, दिनांक 01.01.2020 द्वारा इसको दिनांक 01.01.2020 से प्रभावशील किया गया।

उपधारा (1) और उपधारा (2) के अधीन कर के संदाय का विकल्प लेने के लिए पात्र नहीं है और जिसकी पूर्व वित्तीय वर्ष के सकल आवर्त पचास लाख रुपए से अधिक नहीं है, उसके द्वारा धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन संदेय कर के स्थान पर, विहित की जाने वाली दर पर, जो किसी राज्य में उसकी आवर्त या संघ राज्यक्षेत्र में उसकी आवर्त या संघ राज्यक्षेत्र में उसकी आवर्त के तीन प्रतिशत से अधिक नहीं होगी, संगणित कर की रकम का निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए संदाय करने का विकल्प ले सकेगा, यदि वह,–

(क) किसी ऐसे मालों या सेवाओं की पूर्ति करने में नहीं लगा है, जो इस अधिनियम के अधीन कर से उद्ग्रहणीय है;

(ख) माल या सेवाओं की अंतरराज्यिक जावक पूर्ति करने में नहीं लगा हैं;

(ग) किसी ऐसे इलैक्ट्रोनिक वाणिज्यिक प्रचालक के माध्यम से [15][.....] सेवाओं की ऐसी पूर्ति में नहीं लगा है, जिससे धारा 52 के अधीन स्त्रोत पर कर का संग्रहण करना अपेक्षित हैं;

(घ) ऐसे माल का विनिर्माता या ऐसी सेवाओं का पूर्तिकार नहीं है, जो सरकार द्वारा परिषद् की सिफारिशों पर अधिसूचित की जाएं; और

(ङ.) न तो कोई नैमित्तिक कराधेय व्यक्ति है और न ही कोई अनिवासी कराधेय व्यक्ति है :

परन्तु जहां एक से अधिक रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों का आय–कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन जारी स्थायी खाता संख्यांक एक ही है, वहां ऐसा रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति इस उपधारा के अधीन तब तक स्कीम के लिए विकल्प का चुनाव करने का पात्र नहीं होगा, जब तक ऐसे सभी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति इस उपधारा के अधीन कर का संदाय करने के विकल्प का चुनाव नहीं करते हैं।]

(3) [16][यथास्थिति, उपधारा (1) या उपधारा (2क)] के अधीन किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा उपयोग किया गया विकल्प उस दिन से, जिसको वित्तीय वर्ष के दौरान उसका सकल आवर्त [17][यथास्थिति, उपधारा (1) या उपधारा (2क)] के अधीन विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक हो जाता है, व्यपगत हो जाएगा।

(4) कोई ऐसा कराधेय व्यक्ति, जिसको [18][यथास्थिति, उपधारा (1) या उपधारा (2क)] के उपबंध लागू होते हैं, उसके द्वारा की गई पूर्तियों पर प्राप्तिकर्ता से किसी कर का संग्रहण नहीं करेगा और न ही वह किसी इनपुट कर प्रत्यय का हकदार होगा।

---

14 वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2019 (2019 का क्रमांक 23) द्वारा उपधारा (2क) अंतःस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 1/2020–केन्द्रीय कर, दिनांक 01.01.2020 द्वारा इसको दिनांक 01.01.2020 से प्रभावशील किया गया।

15 वित्त अधिनियम, 2023 द्वारा शब्द ''माल या'' विलोपित। (प्रभावशील दिनांक 01.10.2023)।

16 वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2019 (2019 का क्रमांक 23) द्वारा ''उपधारा (1)'' के स्थान पर अंतःस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 1/2020–केन्द्रीय कर, दिनांक 01.01.2020 द्वारा इसको दिनांक 01.01.2020 से प्रभावशील किया गया।

17 वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2019 (2019 का क्रमांक 23) द्वारा ''उपधारा (1)'' के स्थान पर अंतःस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 1/2020–केन्द्रीय कर, दिनांक 01.01.2020 द्वारा इसको दिनांक 01.01.2020 से प्रभावशील किया गया।

18 वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2019 (2019 का क्रमांक 23) द्वारा ''उपधारा (1)'' के स्थान पर अंतःस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 1/2020–केन्द्रीय कर, दिनांक 01.01.2020 द्वारा इसको दिनांक 01.01.2020 से प्रभावशील किया गया।

(5) यदि उचित अधिकारी के पास यह विश्वास करने के कारण हैं कि किसी कराधेय व्यक्ति ने पात्र न होते हुए भी, [19][यथास्थिति, उपधारा (1) या उपधारा (2क)] के अधीन कर संदत्त कर दिया है तो ऐसा व्यक्ति, किसी ऐसे कर के अतिरिक्त, जो इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के अधीन उसके द्वारा संदेय हो, शास्ति का दायी होगा और धारा 73 या धारा 74 [20][या धारा 74क] के उपबंध यथा आवश्यक परिवर्तनों सहित कर और शास्ति के अवधारण के लिए लागू होंगे।

[21][**स्पष्टीकरण 1.**–इस धारा के अधीन किसी व्यक्ति की कर संदाय की कर संदाय करने की पात्रता का अवधारण करने के लिए इसके सकल आवर्त की संगणना करने के प्रयोजनों लिए, ''सकल आवर्त'' पद के अंतर्गत किसी वित्तीय वर्ष के 1 अप्रैल से उस तारीख तक की पूर्तियां सम्मिलित होंगी, जिसको वह इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण का दायी बन जाता है, किन्तु जहां तक प्रतिफल को ब्याज या बट्टे के रुप में प्रदर्शित किया जाता है, निक्षेपों, ऋणों या अग्रिमों को विस्तारित करके छूट प्राप्त सेवाओं की पूर्ति का मूल्य सम्मिलित नहीं होगा।

स्पष्टीकरण 2.–इस धारा के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा संदेय कर का अवधारण करने के प्रयोजनों के लिए ''किसी राज्य में आवर्त या किसी संघ राज्यक्षेत्र में आवर्त'' में निम्नलिखित पूर्तियों का मूल्य सम्मिलित नहीं होगा, अर्थात्:

(i) किसी वित्तीय वर्ष के 1 अप्रैल से उस तारीख तक की पूर्तियां, जिसको वह इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण का दायी बन जाता है; और

(ii) जहां तक प्रतिफल को ब्याज या बट्टे के रुप में प्रदर्शित किया जाता है, निक्षेपों, ऋणों या अग्रिमों को विस्तारित करके छूट प्राप्त सेवाओं की पूर्ति।]

उपयुक्त नियम : नियम 3, 4, 5, 6, 7, 62

उपयुक्त प्रारूप : प्रारूप जीएसटी सीएमपी–01, जीएसटी सीएमपी–02, जीएसटी सीएमपी–03, जीएसटी सीएमपी–04, जीएसटी सीएमपी–05, जीएसटी सीएमपी–06, जीएसटी सीएमपी–07, जीएसटी सीएमपी–08, जीएसटी आरईजी–01, जीएसटी आईटीसी–01, जीएसटी आईटीसी–03, जीएसटीआर–04, जीएसटीआर–4क

---

19 वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2019 (2019 का क्रमांक 23) द्वारा ''उपधारा (1)'' के स्थान पर प्रतिस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 1/2020–केन्द्रीय कर, दिनांक 01.01.2020 द्वारा इसको दिनांक 01.01.2020 से प्रभावशील किया गया।

20 वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2024 (2024 का क्रमांक 15) द्वारा अंतःस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 17/2024–केन्द्रीय कर, दिनांक 27.09.2024 द्वारा इसको दिनांक 01.11.2024 से प्रभावशील किया गया।

21 वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2019 (2019 का क्रमांक 23) द्वारा स्पष्टीकरण 1 और स्पष्टीकरण 2 अंतःस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 1/2020–केन्द्रीय कर, दिनांक 01.01.2020 द्वारा इसको दिनांक 01.01.2020 से प्रभावशील किया गया।